| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>निगरानी/टी.ए./3646/2005/भरतपुर<br>रघुनाथ बनाम दिगम्बर सिंह व अन्य | नम्बर व तारीख |
|---|---|---|

**एकल पीठ**
**श्री धूकलराम कसवाँ सदस्य**

उपस्थित

श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक प्रार्थी

श्री ओंकार लाल दवे अभिभाषक अप्रार्थी

**निर्णय**

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी नदवई के आदेश दिनांक 14–7–2005 के विरूद्ध राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

आक्षेपित आदेश के द्वारा अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी को स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने के आदेश दिये गये हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण में दिनांक 24–5–05 को बहस सुनकर निर्णय हेतु दिनांक 6–6–2005 नियत की गई थी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी दिनांक 28–6–2005 को प्रस्तुत की गई। इस स्तर पर उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने यह गलत अर्थ निकाला है कि उक्त दस्तावेज निर्णय पारित करने में सहायक दस्तावेज है। जब प्रकरण में बहस होकर निर्णय हेतु रिजर्व हो चुका था तो इस स्तर पर उक्त दस्तावेज रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता था। उक्त दस्तावेज रेकार्ड पर लेने से नयी तनकीयात कायम करनी होगी और प्रकरण नये सिरे से ट्रायल होगा जो विधि अनुसार गलत है। इसलिये वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी खारिज किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि जो दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं वह पब्लिक डोकूमेन्टस हैं और विवादित आराजी से सम्बन्धित हैं। उक्त दस्तावेज दीगर जगह रखे होने के कारण उन्हें नहीं मिल सके और दस्तावेज मिलते ही पेश कर दिये। जिसके रिबटल का अवसर विपक्षी

| तारीख हुक्म | | नम्बर व तारीख |
|---|---|---|

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
निगरानी/टी.ए./3646/2005/भरतपुर
रघुनाथ बनाम दिगम्बर सिंह व अन्य

को दिया गया है। इसलिये निगरानी खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगणक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

आदेश 7 नियम 14(3) जाब्ता दीवानी में यह प्रावधित किया गया है कि ऐसा दस्तावेज, जिन्हें वादी द्वारा न्यायालय में तब पेश किया जाना चाहिये जब वाद पत्र पेश किया जाता है या वादपत्र में जोडी जाने वाली या उपाबद्ध की जाने वाली सूचि में प्रविष्ट किया जाना चाहिये किन्तु तदनुसार पेश या प्रविष्ट नहीं किया जाता है,तब न्यायालय की अनुमति के बिना वाद की सुनवाई पर उसकी ओर से साक्ष्य में नहीं लिया जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजात को पब्लिक डोकूमेन्ट मानते हुये और निर्णय पारित करने में सहायक दस्तावेज मानते हुये उन्हें रूपये 500/–हर्जाने पर रेकार्ड पर लेने के आदेश पारित किये हैं और विपक्षी को खण्डन में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। न्यायलय द्वारा पारित उक्त आदेश स्वविवेकीय आदेश है जिसमें निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानी के स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब कि अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि की हो अथवा विधि की व्याख्या करनें में भूल की हो।

उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(धूकलराम कसवाँ)**
**सदस्य**